न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बगोदर-सरिया (गिरिडीह)।

वाद संख्या - 36...../2025 धारा 163 भ0ना0सु0सं0

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
03/03/25	अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, बगोदर के पत्रांक - **183, दिनांक- 27.02.2025** के द्वारा समर्पित किया गया जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन के बाद मैं संतुष्ट हूँ कि भूमि विवाद को लेकर उभय पक्षों में शांति भंग होने की आशंका है एवं टकराव के लिए तत्पर हैं। इस बात से मैं संतुष्ट हूँ कि इस मामले में टकराव को दूर करने तथा इलाके में शांति बनाये रखने के लिए निरोधात्मक कार्यवाई आवश्यक हैं। इन तथ्यों के आलोक में उभय पक्षों के विरूद्ध धारा 163 भा0 ना0 सु0 संहिता के अंतर्गत कार्यवाई प्रारंभ किया जाता है तथा उभय पक्षों को 60 दिनों के लिए विवादग्रस्त भूमि पर या उसके नजदीक जाने अथवा किसी भी तरह का कार्य करने के लिए प्रतिबंधित किया जाता है तथा रोका जाता है। साथ हीं उभय पक्षों से दिनांक 21-3-25 ..... को कारण पृच्छा की मांग की जाती है कि क्यों नहीं एक या दोनों पक्षों के विरूद्ध निरोधात्मक आदेश को सम्पूष्ट किया जाय। अभिलेख दिनांक 21-3-25 ..... को उपस्थापित करें। लेखापित एवं संशोधित 03/03/25 अनुमण्डल दण्डाधिकारी बगोदर-सरिया (गिरिडीह) 03/03/25 अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बगोदर-सरिया(गिरिडीह)	

की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
21.3.25	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्ष सदस्य सं०-01 उपस्थित। पीठासीन पदा० अन्य कार्य में व्यस्त। द्वितीय पक्ष की ओर से कारण दाखिल। अभिलेख दिनांक 04/4/25 को रखें।	
04/4/25	प्रथम पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्ष वकालतन हाजिर। पीठासीन पदा० अन्य कार्य में व्यस्त। अभिलेख दिनांक 12/4/25 को रखें।	
12/4/25	प्रथम पक्ष अनु०। द्वितीय पक्ष सदस्य सं०- 01 उपस्थित। पीठासीन पदा० अन्य कार्य में व्यस्त। अभिलेख दिनांक 19/4/25 को रखें।	
19/4/25	प्रथम पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्ष सदस्य सं०-01 उपस्थित। अभिलेख दिनांक 02/5/25 को रखें।	
02/05/25	प्रथम पक्ष कैलाश प्रसाद उपस्थित। द्वितीय पक्ष दौलत महतो उपस्थित। आदेश हेतु। 02/5/25	

... की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
07/5/25	**आदेश** वाद सं० 36/25 अंचल अधिकारी बगोदर के प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर अनुमंडल पदा० बगोदर - सरिया के स्थानीय अधिकारिता क्षेत्र में विवाद के कारण लोक परिशांति भंग होने की प्रबल आशंका के रोकथाम हेतु निम्नलिखित विवरण वाले भूमि पर दिनांक 03/03/25 की प्रभावी तिथि से भा. ना. सु० सं० की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा प्रवृत किया गया तथा अन्य पक्ष को उक्त भूमि पर जाने अथवा कोई कार्य किए जाने से प्रतिबंधित किया गया : **विवादग्रस्त भूमि** मौजा - मंदरामो, थाना - बगोदर (गिरिडीह) खाता सं० 68 प्लॉट नं० - 300 रकबा 18 डी० चौ० उ० रास्ता द० फुलाकी महतो, पू० रामधन महतो प० बिशुन महतो। नोटिस निर्गत कर अन्य पक्ष से कारण पृच्छा भी की गई। अन्य पक्ष अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित हुए तथा अपना - अपना पक्ष रखा। प्रथम पक्ष कैलाश प्रसाद का कहना है कि वादग्रस्त भूमि	

[signature]

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	खतियानी रैयती भूमि है जो उनके पूर्वज को हासिल है। विपक्षीगण के द्वारा जबरन नींव खुदाई का प्रयास करने के कारण विवाद हुआ। प्रथम पक्ष अपने दावे के समर्थन में एक केवाला की छायाप्रति (अपठनीय), एक लगान रसीद की छायाप्रति, संलग्न करते हैं। वहीं दूसरी और द्वितीय पक्ष का कहना है कि उभय पक्ष एक ही खतियानी रैयत के वंशज हैं तथा आपसी घरेया बँटवारा के अनुसार विवादग्रस्त भूमि कुल रकबा 18 डिसमिल का आधा - आधा अर्थात् 9 डिसमिल पर प्रथम पक्ष तथा 9 डिसमिल पर द्वितीय पक्ष कायम काबिज हैं तथा अलग -अलग जमाबन्दी अंचल कार्यालय में कायम है। साथ ही यह भी बयान करते हैं कि उन्हें उक्त भूमि अपने पूर्वज से बजरिये निबंधित केवाला प्राप्त हुआ। द्वितीय पक्ष अपने दावे के समर्थन में एक निबंधित केवाला की छायाप्रति, एक online पंजी II की छायाप्रति, एक ऑनलाइन रसीद की छायाप्रति संलग्न करते हैं।	

Date 19/02/25

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

अंचल अधिकारी, बगोदर का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त जिसमें वे स्पष्ट रूप से कहते हैं कि अभय पक्ष को 09 - 09 डिसमिल भूमि हासिल है तथा अंचल कार्यालय के Demand Register में अलग - अलग पृष्ठ पर उभय पक्ष की जमाबन्दी कायम है। साथ ही वे यह भी प्रतिवेदित करते हैं कि विवादग्रस्त भूमि के संपूर्ण रकबा पर प्रथम पक्ष का दखल कब्जा है।

थाना प्रभारी बगोदर का भी जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है जिसमें उन्होंने प्रतिवेदित किया है कि विवाद ग्रस्त भूमि के संपूर्ण रकबे अर्थात् 18 डिसमिल भूमि पर प्रथम पक्ष का दखल कब्जा है तथा प्रथम पक्ष के कथनानुसार उक्त भूमि के बदले द्वितीय पक्ष को 21 डिसमिल भूमि अन्यत्र दिया गया है।

अभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत वाद-पत्रिका का अध्ययन करने, दाखिल खारिज संबंधी साक्ष्यों का अध्ययन तथा मूल्यांकन करने, अंचल अधिकारी तथा थाना प्रभारी बगोदर के प्रतिवेदन का अध्ययन करने तथा अभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के दलीलों को सुनने के उपरांत

जारी

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि उभय पक्ष के मध्य उत्पन्न यह विवाद घरैया बँटवारे को नहीं मानने के कारण उत्पन्न हुआ है। बँटवारे से संबंधित मामले का विचारण अधोहस्ताक्षरी के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। उभय पक्ष को चाहिए कि सक्षम न्यायालय में वाद लाकर विवाद का स्थायी निपटारा करेंगे तथा उक्त अवधि तक क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे। उक्त आदेश के साथ ही वाद की कार्यवाई समाप्त घोषित की जाती है। लेखापित एवं संशोधित ह० 01/05/25 अनु० दण्डाधिकारी बगोदर सरिया ह० 01/05/25 अनु० दण्डाधिकारी बगोदर सरिया	

Digitally signed by SANTOSH GUPTA
Date: 2025.06.01 11:36:54 +05:30
Location: 192.168.137.1

Si